सार-समाचार

खेत में मिला किसान का शव, हत्या की आशंका

इन्दौर । रक्तरंजित हालत में एक किसान के शव की खेत में पड़े होने की सूचना पर क्षेत्र में सनसनी फ़ैल गई। घटना गौतमपुरा थाना क्षेत्र की है। आशंका जताई जा रही है कि अज्ञात बदमाशों ने उसकी हत्या कर शव खेत में फेंक दिया था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का प्रारंभिक निरीक्षण कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार दीपक राठौड़, निवासी धोबी मोहल्ला ने सूचना देते बताया कि उनके काका बाबू राठौड़ का शव शमशाद बी के खेत में पड़ा हुआ है आशंका है कि अज्ञात बदमाशों ने उनकी हत्या कर शव खेत में छोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई करते शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।

स्कूली छात्रों के बीच विवाद में चाकूबाजी

इंदौर (नगर संवाददाता)। स्कूली छात्रों के बीच विवाद के बाद 11 वीं के छात्र को चाकू मारकर घायल कर दिया। खजराना पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले रितीश जोशी ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह सत्य साईं चौराहे के पास स्थित एक निजी स्कूल का छात्र है। उसका विवाद स्कूल में खो.खो खेल के दौरान दूसरे छात्र से हुआ था। कुछ दिन पहले वह स्कूल में टीसी लेने गया था जहां आरोपी छात्र उसे घूर रहा था। इसके बाद आरोपी ने इंस्टाग्राम पर उससे मोबाइल नंबर मांगा तो उसने देने से इनकार कर दिया। रितीश अपने दोस्तों लक्की और यश के साथ बंगाली चौराहे पर था। इसी दौरान आरोपी ने कहा कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। कुछ देर बाद आरोपी अपने दो साथियों के साथ पहुंचा गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी इसी बीच एक आरोपी ने रितीश के दोस्त लक्की के पैर पर चाकू से हमला कर दिया और तीनों फरार हो गए। पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है।

दामाद और उसके पिता ने पीटा, तोड़फोड़ की

इंदौर। पारिवारिक विवाद के चलते मारपीट और तोड़फोड़ की घटना हो गई। शिकायतकर्ता ने अपने दामाद और उसके पिता पर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने तथा घर और ऑटो रिक्शा में तोडफोड़ कर नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। द्वारकापुरी पुलिस के अनुसार, गुरूशंकर नगर निवासी 50 वर्षीय महेंद्र जोशी ने शिकायत दर्ज कराई कि रविवार तड़के पारिवारिक बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि उनके दामाद प्रांजल उर्फ कान्हा बैरागी और उसके पिता धीरज बैरागी उनके घर पहुंचे और विवाद के दौरान उनके साथ मारपीट की। फरियादी का आरोप है कि दोनों ने घर में तोडफोड़ कर सामान को नुकसान पहुंचाया। साथ ही घर के बाहर खड़े ऑटो रिक्शा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के दौरान जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

समझाइश दी तो पत्नी और मायके वालों से की मारपीट

इंदौर। किसी बात को लेकर समझाइश देने पर पति ने पत्नी, उसके भाई और मां के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। कनाड़िया पुलिस के अनुसार, ग्राम कांकरिया बोडिया निवासी शिवानी सिंह चौहान ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके पति श्याम सिंह चौहान रविवार शाम वैभव नगर स्थित उनके मायके पहुंचे थे। वहां शिवानी के भाई अभिषेक सिंह चौहान ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान आरोपी ने पत्नी और उसके भाई के साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट कर दी। बीच-बचाव करने पहुंची शिवानी की मां ललिता सिंह चौहान को भी चोटें आईं। मारपीट में पत्नी के चेहरे और भाई के हाथ व पीठ पर चोट आई है। फरियादी ने आरोप लगाया कि घटना के बाद पति ने घर वापस नहीं आने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी।

खिड़की से झांका, कपड़े फाड़कर बाहर फेंके

इंदौर। 22 वर्षीय युवती की शिकायत पर महिला की गरिमा भंग करने और अशोभनीय हरकत करने का मामला पुलिस ने दर्ज किया गया है। आरोप है कि एक युवक ने युवती के कमरे की खिड़की से झांककर उसकी निजता का उल्लंघन किया और बाहर सूख रहे उसके कपड़ों के साथ भी अभद्र हरकत की। भंवरकुआ पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने बताया कि वह नहाने के बाद अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी। इसी दौरान आरोपी संदीप सिसौदिया कथित रूप से कमरे की खिड़की से अंदर झांक रहा था। पीड़िता का आरोप है कि युवक कमरे के बाहर सूख रहे उसके अंतर्वस्त्र भी उठाकर ले गया। कुछ देर बाद उसने उन्हें फाड़कर कमरे के बाहर फेंक दिया। घटना के बाद युवती ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है।

आठ जुआरी गिरफ्तार

इंदौर। तेजाजी नगर थाना पुलिस ने दो अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर आठ लोगों को हार-जीत का दांव लगाते हुए पकड़ा। दोनों मामलों में पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों से नकदी सहित अन्य सामान जब्त किया है। पहली कार्रवाई मछली फार्म तालाब के पास की गई, जहां पुलिस ने सूचना के आधार पर दबिश देकर चार लोगों को ताश के पत्तों से जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 2 हजार रुपए नकद, 52 ताश के पत्ते, दो मोबाइल फोन और दो एक्टिवा जब्त की गईं। इसी दिन देर रात तेजाजी नगर पुलिस ने माउंट बर्ग कॉलोनी क्षेत्र में एक अन्य स्थान पर छापा मारकर चार और लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा। इस कार्रवाई में आरोपियों के पास से 2,100 रुपए नकद और 52 ताश के पत्ते बरामद किए गए। दोनों मामलों में पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

लापता चौकीदार का पता नहीं चला

इंदौर। चोइथराम रोड स्थित एक अपार्टमेंट का चौकीदार गत दिवस रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया। दो दिन बाद भी उसका कोई पता नहीं चल पाया है। परिजन और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। घटना थाना राजेंद्र नगर इलाके में स्थित होलकर अपार्टमेंट की है। यहां काम करने वाला एक चौकीदार कृष्णा यादव 11 जुलाई की सुबह लगभग 10.25 बजे के बाद से लापता है। वह दिनभर और देर रात तक वापस दिखाई नहीं दिया तो परिजन और अपार्टमेंट के रहवासियों में हडकंप मच गया। परिजन के मुताबिक चौकीदार का मोबाइल फोन भी घर पर मिला है। परिजन किसी भी तरह के विवाद से इंकार कर रहे हैं। उसकी किसी से कोई रंजिश भी नहीं थी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है और सोशल मीडिया पर भी फोटो वायरल किया गया है। उसके लापता होने के बाद से पत्नी, बच्चे और परिजन मंदिरों में उसके सकुशल मिलने की प्रार्थना कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि कई बिदुओं पर जांच और संभावित स्थानों पर तलाश जारी है।

क्रेडिट कार्ड से ठग ने निकाले 1.12 लाख रुपए

इंदौर (नगर संवाददाता)। धनवंतरी नगर स्थित साईं विला अपार्टमेंट निवासी सिविल इंजीनियर आनंद बनवडीकर के क्रेडिट कार्ड से अज्ञात ठग ने 1.12 लाख रुपए निकाल लिए।

8 जुलाई को दोपहर आनंद के मोबाइल पर ट्रांजेक्शन के मैसेज आए। पहले दो ट्रांजेक्शन 51.51 हजार रुपए के हुए जबकि दूसरे क्रेडिट कार्ड से 10 हजार रुपए का भुगतान कर दिया गया। आनंद ने तुरंत बैंक को सूचना देकर दोनों कार्ड ब्लॉक करवाए। उसके बाद राजेंद्र नगर थाने में दी शिकायत में अमेजन सेलर सर्विस और कैशफ्री इनोवेटिव रिटेल आईडी के माध्यम से ट्रांजेक्शन होने का उल्लेख किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

छात्रा से 40 हजार रुपए की ठगी

छात्रा मोना नागर ने इंस्टाग्राम पर सुमन वूमन नाम की आईडी से 999 रुपए की ड्रेस ऑर्डर की थी। ऑर्डर बाद एक युवक का फोन आया, जिसने स्टेप.बाय.स्टेप वेरिफिकेशन के नाम पर पहले 500 रुपए ऑनलाइन जमा करने को कहा। इसके बाद दोबारा वेरिफिकेशन के बहाने भुगतान करवाया गया और इसी दौरान उसके खाते से करीब 40 हजार रुपए निकल गए। मोना को एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है। वह भंवरकुआ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

30 हजार रुपए की ऑनलाइन ठगी

चंदननगर थाना क्षेत्र में फर्जी पहचान का सहारा लेकर एक व्यक्ति से 30,070 रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, अम्मार नगर निवासी 52 वर्षीय हुसैन ने शिकायत दर्ज कराई कि 4 जुलाई की सुबह उन्हें एक मोबाइल नंबर से संपर्क किया गया। कॉल करने वाले ने खुद को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर विश्वास में लिया और बातचीत के दौरान छलपूर्वक उनसे 30,070 रुपए खाते से निकाल लिए। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने मामले की शिकायत चंदननगर थाना पुलिस से की। पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मोबाइल नंबर और लेन-देन से जुड़े तकनीकी साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी है।

युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी

आत्महत्या से पहले दोस्त को किया था कॉल

इंदौर (नगर संवाददाता)। एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उसने अपने दोस्त को आखिरी बार कॉल किया था और कहा कि परिवार से कह देना, मैं अब नहीं रहा। कुछ देर बाद परिजन घर पहुंचे और युवक को नजदीकी निजी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बाणगंगा पुलिस के मुताबिक, 39 वर्षीय विशाल पिता मनोहर चौहान, निवासी साईं सुमन नगर, ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। परिवार के लोगों ने बताया कि विशाल एक निजी कंपनी में काम करता था। रविवार को छुट्टी होने के कारण वह घर पर ही था। चचेरे भाई अनिल ने बताया कि उनके पास विशाल के दोस्त का कॉल आया था। उस समय वह बाइक चला रहे थे, इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर पाए। कुछ देर बाद उन्होंने वापस कॉल किया तो दोस्त ने बताया कि विशाल ने मरने की बात कही है। इसके बाद अनिल ने विशाल के भाई को कॉल किया, लेकिन वह भी घर पर नहीं था। फिर मां को सूचना दी गई। सभी परिजन जब विशाल के कमरे पर पहुंचे तो वह फंदे पर लटका मिला। विशाल अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ अलग रहता था। परिजन ने बताया कि उसकी पत्नी करीब दो महीने से एरोड्रम इलाके स्थित अपने मायके में रह रही थी। पुलिस को कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। विशाल के परिवार में दो बहनें और एक भाई हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

सड़क हादसे में पांच साल की मासूम की मौत

परिवार के साथ जाते समय कार की टक्कर से उछली थी बालिका

इंदौर (नगर संवाददाता)। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में पांच साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। दरअसल कार की टक्कर के बाद वह मां की गोद से उछली और सड़क पर जा गिरी। हादसे में बच्ची के माता-पिता और एक बहन भी घायल हो गए।

टीआई देवेंद्र मरकाम ने बताया कि हादसा नेमावर रोड ब्रिज के पास सोमवार को हुआ। न्यू द्वारकापुरी निवासी राहुल भंवर पत्नी कविता और दो बेटियों के साथ बाइक पर सवार होकर महू के समीप रिश्तेदार के घर कथा सुनने जा रहे थे। पांच वर्षीय बेटी दिशा कविता की गोद में बैठी थी। वे ब्रिज के पास से गुजर रहे थे इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मारी। राहुल और कविता एक तरफ गिर गए और दिशा उछलकर बाइक के आगे जाकर गिरी। वह गंभीर रुप से घायल हो गई। अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन उसकी जान नहीं बची। हादसे में राहुल उसकी पत्नी कविता और छोटी बेटी द्रशिका भी घायल हुए हैं। राहुल के अनुसार आठ माह की छोटी बेटी द्रशिका बाइक पर आगे बैठी थी। टक्कर से वह भी आगे जाकर गिर गई। कार का पहिया उसके सिर के पास से निकल गया। द्रशिका बाल-बाल बच गई। हादसे के बाद राहुल की पत्नी कविता बेहोश हो गई थी। पुलिस मर्ग कायम कर सीसीटीवी फुटेज खंगालकर कार वाले की तलाश कर रही है।

घरेलू गैस सिलेंडर चोरी करने वाला गिरोह पुलिस गिरफ्त में

3 आरोपी गिरफ्तार, 11 घरेलू गैस सिलेंडर एवं चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

इंदौर। पुलिस थाना आजाद नगर द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। थाना प्रभारी आज़ाद नगर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर चोरी की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों पर सतत निगरानी रखी जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नेतराम का बगीचा, आज़ाद नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल कम कीमत में बेचने की फिराक में है।

सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम ने घेराबंदी कर मोहित यादव (22 वर्ष), निवासी पंचशील कॉलोनी, मूसाखेड़ी, इंदौर को पकड़ा गया । उसके कब्जे से हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (MP13¥4836) बरामद की गई, जो थाना आज़ाद नगर क्षेत्र से चोरी गई थी तथा जिसके संबंध में अपराध क्रमांक 209/2026, धारा 303(3) बीएनएस पंजीबद्ध है।पूछताछ के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने दो अन्य आरोपियों गर्वत उर्फ काका उर्फ बाबा निवासी मूसाखेड़ी, कुणाल उर्फ कुन्न निवासी मूसाखेड़ी, इंदौर को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 11 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिन्हें चोरी कर कम दामों में बेचने की तैयारी थी। इस संबंध में धारा 305(ए), 331(4) बीएनएस के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।

2.4 किलो गांजे के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

इंदौर (नगर संवाददाता)। राऊ थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो युवकों को 2.4 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर पुलिस नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार, मुखबिर से सूचना मिलने पर पिथमपुर रोड स्थित हनुमान मंदिर के पीछे सरकारी खाली जमीन पर दबिश दी गई। यहां दो संदिग्ध युवक अवैध मादक पदार्थ के साथ मिले। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से कुल 2 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भोलाराम उर्फ सुभाष (32) और गोलु उर्फ विशाल (21), दोनों निवासी नयापुरा, रंगवासा (राऊ) के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि जब्त गांजा कहां से लाया गया था और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। साथ ही आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और उनके संभावित नेटवर्क की भी जांच की जा रही है।

खेत की फेंसिंग को लेकर विवाद

इंदौर। खुड़ैल थाना क्षेत्र में खेत की तार फेंसिंग को लेकर विवाद के दौरान मारपीट का हो गई। । आरोप है कि खेत में फेंसिंग का काम कर रहे किसान पर चार लोगों ने रॉड और पाइप से हमला कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, आजादनगर क्षेत्र के इंदिरा एकता नगर निवासी 40 वर्षीय रवि यादव सिवनीखेड़ा स्थित अपने खेत में लोहे के एंगल गाड़कर तार फेंसिंग का कार्य करा रहे थे। इसी दौरान चार लोग वहां पहुंचे और फेंसिंग को लेकर आपत्ति जताते हुए विवाद करने लगे। शिकायत के मुताबिक, कहासुनी बढ़ने पर आरोपियों ने रॉड और पाइप से हमला कर फरियादी के साथ मारपीट की। घटना के दौरान जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। मारपीट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। खुड़ैल थाना पुलिस ने किशोर मौर्य, लोकेश मौर्य, छोटू मौर्य और विशेष यादव के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि विवाद के कारणों और जमीन संबंधी पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

प्रॉपर्टी ब्रोकर ने खाया जहर, मौत

पैसों के लेन-देन के तनाव में उठाया आत्मघाती कदम, मौके से मिला सुसाइड नोट

पीथमपुर। पीथमपुर के सांवरिया नगर में रहने वाले एक प्रॉपर्टी ब्रोकर ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्मघाती कदम उठा लिया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसे विधिवत सील कर जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया है।

फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, 51 वर्षीय मनोज मंडलोई पुत्र ओमप्रकाश मंडलोई, निवासी सांवरिया नगर, सोमवार दोपहर अपने घर पर जहरीला पदार्थ सेवन करने के बाद गंभीर रूप से बीमार हो गए। परिजन उन्हें तत्काल बेटमा स्थित खंडेलवाल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पीथमपुर थाना पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया।

मौके से मिला सुसाइड नोट

थाना प्रभारी सुनील शर्मा ने बताया कि मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए सुसाइड नोट को सील कर जब्त कर लिया है। इसकी सामग्री की जांच की जा रही है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

पैसों के लेन-देन को लेकर थे परेशान

प्रारंभिक जांच और आसपास के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, मनोज मंडलोई पिछले कुछ समय से पैसों के लेन-देन को लेकर मानसिक तनाव में थे। आशंका जताई जा रही है कि आर्थिक दबाव और तनाव के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। हालांकि पुलिस का कहना है कि मृत्यु के वास्तविक कारण और परिस्थितियों का खुलासा सुसाइड नोट की जांच तथा परिजनों के विस्तृत बयान दर्ज होने के बाद ही हो सकेगा।

चैन स्नैचिंग करने वाली शातिर गैंग का पर्दाफाश, तीन को धरदबोचा

इंदौर। थाना मल्हारगंज पुलिस ने 9 जुलाई को जवाहर मार्ग क्षेत्र में हुई बुजुर्ग महिला से चैन स्नैचिंग की सनसनीखेज वारदात का त्वरित खुलासा करते हुए तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। घटना का विवरण-9 जुलाई फरियादिया श्रीमती इंदिरा जैन (82 वर्ष), निवासी साउथ राजमोहल्ला, इन्दौर प्रातः जैन मंदिर जा रही थीं। इसी दौरान पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने उनके गले से लगभग 8-10 ग्राम वजनी सोने की चैन झपट ली और मौके से फरार हो गए थे। शिकायत प्राप्त होते ही थाना मल्हारगंज में तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। थाना मल्हारगंज पुलिस ने मुखबिर तंत्र एवं साइबर सेल को सक्रिय किया। घटना स्थल एवं आरोपियों के संभावित आवागमन मार्गों पर लगे 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का सूक्ष्म विश्लेषण कर आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की गई।विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि वारदात में शामिल तीनों आरोपी इन्दौर एयरपोर्ट के मुख्य गेट के पास पल्सर मोटरसाइकिल सहित मौजूद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी की। पुलिस को देखकर आरोपी तेज गति से भागने लगे। लगातार पीछा करने पर गोकुलधाम कॉलोनी के समीप पुलिया पर उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों रोशन सिंह, निवासी आकाश नगर, द्वारिकापुरी, सुलिन्दर सिंह, निवासी आकाश नगर,द्वारिकापुरी, सुखवीर सिंह, निवासी आकाश नगर,द्वारिकापुरी, इन्दौर को घायल अवस्था में सुरक्षित गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ एवं बरामदगी- पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बुजुर्ग महिला से चैन स्नैचिंग की वारदात करना स्वीकार किया। उनके मेमोरेंडम के आधार पर छीनी गई सोने की चैन, घटना में प्रयुक्त लोहे का चाकू, वारदात में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक MP09-ZH-1386 बरामद की गई। आरोपियों ने यह भी स्वीकार किया कि उक्त मोटरसाइकिल अहीरखेड़ी क्षेत्र से चोरी की गई थी तथा उसी का उपयोग वारदात में किया गया था, जिसके संबंध में भी जांच की जा रही है। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने हेतु अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनके विरुद्ध विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है तथा अन्य चैन स्नैचिंग एवं संपत्ति संबंधी अपराधों के संबंध में भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-4 दिशेष अग्रवाल के मार्गदर्शन में सीआई सेल थाना छत्रीपुरा एवं थाना द्वारकापुरी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी महत्वपूर्ण सहयोग एवं सराहनीय योगदान दिया।